

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
HARYANA LABOUR WELFARE BOARD / हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
श्रम कल्याण भवन, बेज न० 29-30, पॉकेट-2, सेक्टर-4, पंचकूला



सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन० सी० आर०), गुरुग्राम।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य।
4. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
5. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य।
6. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
7. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य।

कमांक:- HLWB/REV/2024/ 3755 - 3804

दिनांक:- 9/7/2024

विषय:- Labour Welfare Fund प्रतिमास जमा करवाने बारे।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में

विषय सम्बन्ध में आप सभी को अवगत करवाया जाता है कि पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (हरियाणा संशोधित) के अंतर्गत जमा होने वाले अंशदान को भी मासिक आधार पर जमा करवाने का प्रावधान online portal पर कर दिया गया है। अतः सभी संस्थाओं से EPF और ESI की भांति Labour Welfare Fund भी प्रति मास जमा करवाएं।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृ० कमांक:-HLWB/REV/2024/ 3805 - 3809

दिनांक:- 9/7/2024


उक्त की एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा।
2. निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय, हरियाणा।
3. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
4. निजी सचिव, कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
5. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग, हरियाणा।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
HARYANA LABOUR WELFARE BOARD / हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
श्रम कल्याण भवन, बेज न० 29-30, पॉकेट-2, सेक्टर-4, पंचकूला



पृ० क्रमांक:-HLWB/REV/2024/ 3810-4045

दिनांक:- 9/7/2024

उक्त की एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को।
3. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
4. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
5. C.E.O, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकूला।
6. हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (हरियाणा राज्यार्थ) के अंतर्गत आने वाली सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को।

[Signature]

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग

पृ० क्रमांक:-HLWB/REV/2024/ 4046-4086

दिनांक:- 9/7/2024

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोशिएसनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

[Signature]

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग

पृ० क्रमांक:-HLWB/REV/2024/ 4087-4089

दिनांक:- 9/7/2024

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य-सह-नोडल अधिकारी IT Cell, श्रम विभाग हरियाणा को।
2. श्री मोहित जैन, मैनेजर, IT Team, को।
3. कंप्यूटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को कि वे इसे विभाग की आधिकारिक वेब साइट hrylabour.gov.in पर अपलोड करें।

[Signature]

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग